भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 580
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

नई खनिज नीति

580. श्री मनीष जायसवालः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में नई खनिज नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) खनन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन के लिए कोई विशेष मिशन शुरू किया गया है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 के स्थान पर मार्च 2019 में राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 (□एनएमपी 2019□) की घोषणा की। इसके पश्चात्, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में 2020, 2021, 2023 और 2025 में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के माध्यम से, खनन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुधार लागू किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- खानों की दोबारा नीलामी होने पर, नए पट्टेदारों को निहितीकरण द्वारा स्वीकृतियां हस्तांतरित किया जाना।
- खानों की नीलामी के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाना।
- पट्टे का निःशुल्क हस्तांतरण।

- गवेषण कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियों का अधिसूचना द्वारा गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- गवेषण अनुज्ञप्ति की शुरुआत खनन कंपनियों को गवेषण के लिए आकर्षित करने हेतु की गई थी।
- खनन पट्टे में खोजे गए अतिरिक्त खनिजों को शामिल करना।

(ग): सरकार ने दिनांक 29.01.2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना खनिज गवेषण और खनन सहित पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ की है।

*****